

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 1022/2023 (धारा 14 सिक्योरिटाइजेशन)  
मुथू हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, शाखा कार्यालय - 1D-10, ग्राउण्ड फ्लोर, श्री आशापुरा एनक्लेव,  
चित्रकूट, प्रताप स्टेडियम के सामने, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री प्रतीक कन्हैयालाल महरडा पुत्र श्री कन्हैयालाल
2. श्री कन्हैयालाल ताराचन्द पुत्र श्री ताराचन्द  
पता :- प्लॉट नम्बर बी-472, मुरलीपुरा स्कीम, प्रकाश बेकरी की गली, विश्वकर्मा इण्डस्ट्रीयल  
ऐरिया, जयपुर।  
एवं प्लॉट नम्बर बी-473, मुरलीपुरा स्कीम, प्रकाश बेकरी की गली, विश्वकर्मा इण्डस्ट्रीयल ऐरिया,  
जयपुर।



The application under section 14 of The Securitisation  
and Reconstruction of Financial Assets and  
Enforcement of Security Interest Act, 2002

अप्रार्थीगण  
ऋणी एवं गारन्टर

उपरिस्थित :-

1. श्री चंचलदीप सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 11.01.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु दिनांक 26.03.2018 को जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री कन्हैयालाल के स्वामित्व की संपत्ति प्लॉट नं. प्लॉट नम्बर बी-472, मुरलीपुरा स्कीम, प्रकाश बेकरी की गली, विश्वकर्मा इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, जयपुर क्षेत्रफल 50 वर्गगज एवं प्लॉट नम्बर बी-473, मुरलीपुरा स्कीम, प्रकाश बेकरी की गली, विश्वकर्मा इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, जयपुर क्षेत्रफल 50 वर्गगज को बन्धक रख कर कुल राशि 05,38,136/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 28.02.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर



3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 05,38,136/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से निगमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 04,46,209/- रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 28.02.2023 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।
4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री कन्हैयालाल के स्वामित्व की संपत्ति प्लॉट नं. प्लाट नम्बर बी-472, गुरलीपुरा स्कीम, प्रकाश बेकरी की गली, विश्वकर्मा इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, जयपुर क्षेत्रफल 50 वर्गगज एवं प्लाट नम्बर बी-473, गुरलीपुरा स्कीम, प्रकाश बेकरी की गली, विश्वकर्मा इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, जयपुर क्षेत्रफल 50 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जाये की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

6. आदेश आज दिनांक 11.01.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।



46  
(प्रकाश राजपुरोहित)  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर